



# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



विज्ञापन सूचना - 01/2023


“महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)” अन्तर्गत सृजित पदों पर रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्णतः संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना :-

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-4729 दिनांक-04.06.2007, ज्ञापांक-6440 दिनांक-17.07.2012, नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012, ज्ञापांक-848 दिनांक-21.03.2017 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2017 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2020, दिनांक- 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक-1617, दिनांक-17.03.2023 एवं संकल्प संख्या ज्ञापांक-3198 दिनांक-16.04.2016 में निहित स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान के अनुरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविदा आधारित स्वीकृत पद प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/अनारक्षित निम्न रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थायी/संविदा आधारित नियुक्ति (मेधा सूची तैयार करने) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

## रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी


क्र०सं०	आवेदित पद का नाम	कोटि				कुल
		अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अ०क०वर्ग	
01	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	00	01	00	00	01
02	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	01	01	00	01	03
03	लेखा सहायक	01	01	01	01	04
04	कम्प्यूटर सहायक	00	01	00	00	01
05	ग्राम रोजगार सेवक	17	25	03	03	48

- नोट:-
1. आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकता है।
  2. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी।
  - I. आवेदक के द्वारा दिनांक 20.09.2023 से दिनांक 05.10.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाईट <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
  - II. आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला के वेबसाईट [www.chaibasa.nic.in](http://www.chaibasa.nic.in) पर तथा उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

  
उपायुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक...725...../जि०ग्रा०, दिनांक...15/09.. /2023

- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं निदेश है कि विज्ञापन सूचना (08 पृष्ठ) को पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के वेबसाईट [www.chaibasa.nic.in](http://www.chaibasa.nic.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे (विज्ञापन का हार्ड एवं साफ्ट कॉपी संलग्न)।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं निदेश है कि स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे (विज्ञापन का हार्ड एवं साफ्ट कॉपी संलग्न)।
- प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)-2005 के अन्तर्गत संविदा आधारित प्रखण्ड स्तरीय रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति हेतु ग्रामीण विकास विभाग के पत्र के आलोक में विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर इच्छुक आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय (विज्ञापन का हार्ड एवं साफ्ट कॉपी संलग्न)।

  
उपायुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



**शैक्षणिक योग्यता :-**

पद का नाम	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता
<p><b>प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी</b></p>	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b> <b>a)</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। <b>b)</b> एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स से पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।</p>
<p><b>तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)</b></p>	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b> <b>a)</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। <b>b)</b> एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p>

<p>लेखा सहायक</p>	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम ऑनर्स या सामान्य बी०कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम०कॉम किया तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम० कॉम, बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० के कोटि में जोड़े जायेगे। पी०जी०, डी०सी०ए० एवं एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा</p> <p>c) पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए०की कोटि में रखा जायेगा।</p>
<p>कम्प्यूटर सहायक</p>	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स</li> <li>➤ बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य</li> <li>➤ बी०सी०ए०</li> <li>➤ सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।</li> </ul> <p>b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा तथा तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेगें। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।</p>



ग्राम रोजगार सेवक

1. अनिवार्य योग्यता :-

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई०टी०आई०, मैट्रिक के पश्चात् आई०टी०आई० की स्थिति में आई०टी०आई० के प्राप्तांक को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

2. अतिरिक्त योग्यता :-

a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।

b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं में कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

**नोट :-** अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DBE से मान्यता संबंधित कागजात/मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जाएगी।

1. परिलब्धि :- विभागीय पत्रांक 1028(N) ग्रा०वि०, राँची दिनांक 04.08.2022 के आलोक में विभिन्न पदों की परिलब्धि निम्नवत् होगी -

क०सं०	पदनाम	मासिक मानदेय
01	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	₹ 23,140.00 (तेईस हजार एक सौ चालीस) रुपये
02	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	₹ 22,000.00 (बाईस हजार) रुपये
03	लेखा सहायक	₹ 14,300.00 (चौदह हजार तीन सौ) रुपये
04	कम्प्यूटर सहायक	₹ 14,300.00 (चौदह हजार तीन सौ) रुपये
05	ग्राम रोजगार सेवक	₹ 11,000.00 (ग्यारह हजार) रुपये

❖ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को यह अधिकार होगा की वे इस संबंध में आवश्यक संशोधन कर सकें।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक-4550, दिनांक-4550, दिनांक-31.05.2016 के संदर्भित सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-2435, दिनांक-14.08.2018 एवं अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-(N) 439 (अनु०), दिनांक-21.02.2018 के आलोक में नियुक्ति हेतु समूह "ख", "ग" एवं "घ" में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/अर्न्वीक्षा समाप्त की गयी है, जो इस नियुक्ति में लागू होगी।

3. आवेदन पत्र एवं विवरणी पश्चिमी सिंहभूम जिले के वेबसाईट [www.chaibasa.nic.in](http://www.chaibasa.nic.in) पर उपलब्ध है।  
आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2023 से 05.10.2023 तक Online  
(<https://applyrdd.jharkhand.gov.in/>) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

4. आयु सीमा :- दिनांक-01.09.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम :-

क्र०सं०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
01	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
02	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
03	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
04	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	40 वर्ष	50 वर्ष
05	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अ०क०वर्ग)	35 वर्ष	45 वर्ष

(सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक-7636,  
दिनांक-12.10.2018 के अनुसार)

5. नियुक्ति हेतु शर्त :-

- सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपर्युक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
- प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) लेखा सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर चयन इस जिले के लिए किया जाएगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात् ये जिला स्तरीय पद होंगे। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन जिले के क्षेत्राधिकार के किसी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक सक्षम होंगे तथा उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
- यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो वे उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य



असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

- vi. उक्त पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें उर्तीणता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही आपकी नियुक्ति मान्य होगी।
- vii. उपर्युक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन पश्चिमी सिंहभूम जिला के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ऐसे पदस्थापन स्थान को आपके द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- viii. योगदान करने के साथ ही यह समझा जाएगा कि आप मनरेगा योजना अन्तर्गत संविदा आधारित पदों की नियुक्ति नियमावली में दिए गए शर्तों एवं भविष्य में सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहमत है।

#### 6. सामान्य निर्देश :-


- i. राष्ट्रीयता :- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- ii. आरक्षित कोटि :- अ०क०वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों (OBC-I/OBC-II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- iii. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Grade अंकित हो तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- vi. स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3198, दिनांक-18.04.2016 प्रभावी होगा।
- v. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-5994, दिनांक-18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
- vi. नियुक्त कर्मि को जिले के किसी भी प्रखण्ड या पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा।
- vii. उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हे इस आशय का एक शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा कि (a) झारखण्ड प्रान्त के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। (b) किये सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएँ से संबंधित प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत है। उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है, तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- ix. अहर्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा।

7. आवेदन कैसे जमा करें :-

(क) आवेदक के द्वारा 20.09.2023 से दिनांक 05.10.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाईट <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

1. स्वहस्ताक्षरित फोटो।
  2. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र।
  3. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र।
  4. आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
  5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।
  6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
  7. शपथ प्रमाण पत्र।
- (ख) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरणी ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।
- (ग) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग-अलग आवेदन ऑनलाईन करना अनिवार्य होगा।
- (घ) निर्धारित तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- (ङ) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा।
- (च) विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- (छ) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

  
उपायुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



## शपथ-पत्र

मैं ..... , पिता ..... , निवासी ग्राम ..... ,  
पो०ओ०..... , प्रखण्ड ..... , थाना ..... , जिला .....  
का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस शपथ पत्र में यह घोषणा करना हूँ कि :-

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत"....." के पद पर आवेदन किया हूँ।
2. मैं झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया हूँ। अगर गलत पाया गया, तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा मेरे उपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
3. मैं किसी नियोक्ता के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ एवं अन्य तरीके से लाभ अर्जन नहीं कर रहा/रही हूँ, यदि यह शपथपत्र कभी भी गलत पाया गया, तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
4. यह शपथ-पत्र का उद्देश्य मुझे मनरेगा अन्तर्गत "....." के पद पर नियुक्ति करने हेतु कर रहा/रही हूँ।

### सत्यापन

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य एवं सही है, यह शपथ-पत्र आज दिनांक ..... को चाईबासा न्यायालय परिसर में हस्ताक्षरित किया।

शपथकर्ता

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया।

अधिवक्ता